केजरा ६ - जयनारायण 16/2009

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8.9.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज C.L. 9.9.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27.10.22 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंटस नोटिस लौटकर नहीं आये। वास्ते इन्तजार तामील दिनांक.................. को पेश हो।	
27.10.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानसार दिनांक 11.1.23 को पेश हो	
11.1.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट एवं अपीलाट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	
	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पांडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जावेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. क तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प ...)	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *